266

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म०प्र०)

Rs.5 INDIA FIVE RUPEES | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES | Rs.20 FEE INDIA TWENTY RUPEES

निगरानी प्रकरण क्रमांक............/2016

R 92-II-17

1. इन्द्रमणि शुक्ला तनय श्री भैयालाल शुक्ला निवासी बरा कोठार तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०।
2. राकेश पाण्डेय पिता श्री नरेश प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम अजगरहा तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०।
3. श्रीमती किरण पाण्डेय पत्नी स्व० श्री शत्रुधन प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम अजगरहा तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०।
4. ज्योति पाण्डेय पिता स्व० श्री शत्रुधन प्रसाद निवासी ग्राम अजगरहा तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०।
5. प्रिंस पाण्डेय पिता स्व० श्री शत्रुधन प्रसाद निवासी ग्राम अजगरहा तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०।
6. हर्षित पाण्डेय पिता स्व० श्री शत्रुधन प्रसाद निवासी ग्राम अजगरहा तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०।

----------आवेदकगण

बनाम

1. वंशपति सिंह पिता शिवनारायण सिंह
2. जयपाल सिंह तनय रामगोपाल

(अ) ठकुरी सिंह पत्नी स्व0 रामविश्राम सिंह

(ब) जीवनदास सिंह तनय स्व0 रामविश्राम सिंह

(स) रामपाल सिंह तनय स्व0 रामविश्राम सिंह

(द) राजबहादुर सिंह तनय स्व0 रामविश्राम सिंह

(ई) अरुण सिंह तनय स्व0 रामविश्राम सिंह

सभी निवासीगण ग्राम सहिजना तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

(फ) श्रीमती प्रेमवती पुत्री स्व0 रामविश्राम सिंह पत्नी स्व0 कमलभान सिंह निवासी चोरमारी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0

(ब) प्रभा सिंह पुत्री स्व0 रामविश्राम सिंह पत्नी श्री अंबिका सिंह निवासी चोरमारी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0

(भ) श्रीमती ऊषा सिंह पुत्री स्व0 रामविश्राम पत्नी श्री रामभिलाष सिंह निवासी घबेलवा तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0

(म) गीता सिंह पुत्री स्व0 रामविश्राम सिंह पत्नी उपेन्द्र सिंह निवासी झिन्ना तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

4. रामप्रसन्न सिंह पिता हीरामणि सिंह

5. बेवा तिजिया पत्नी रामप्रकाश सिंह

6. (अ) प्रेमवती पत्नी स्व0 सीताराम सिंह

(ब) राजकुमार सिंह तनय स्व0 सीताराम सिंह

(स) राजभान सिंह तनय स्व0 सीताराम सिंह

(द) रवी प्रताप सिंह तनय स्व0 सीताराम सिंह

R 92-II/17

(ई) दिलीप सिंह तनय स्व0 सीताराम सिंह

सभी निवासीगण चन्द्रा मंगलम बारात घर के बगल मे बरा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

7. रामनाथ सिंह पिता भगवानदीन सिंह

8. रामकली सिंह बेवा रघुनंदन सिंह

9. रामनरेश सिंह पिता स्व0 रघुनंदन सिंह

10. राजेन्द्र सिंह पिता स्व0 रघुनंदन सिंह

11. यादवेन्द्र सिंह पिता स्व0 रघुनंदन सिंह

12. धीरेन्द्र सिंह पिता स्व0 रघुनंदन सिंह

13. सदकीर्तन सिंह पिता रामकिशोर सिंह

14. चिरौंजी देवी बेवा पत्नी श्यामलाल सिंह

15. पुष्पराज सिंह तनय स्व0 श्यामलाल सिंह

16. देवेन्द्र सिंह तनय स्व0 श्यामलाल सिंह

17. छत्रपति सिंह तनय राममिलन सिंह

18. केरन सिंह तनय राममिलन सिंह

19. राजेश सिंह तनय रामानुज

20. सौखीलाल पिता सवाईलाल

21. (अ) श्रीमती मंजू सिंह पत्नी स्व0 रावेन्द्र सिंह

(ब) कुमारी रागिनी सिंह पुत्री रावेन्द्र सिंह

(स) राज सिंह तनय स्व0 रावेन्द्र सिंह

(द) गोनू सिंह तनय स्व0 रावेन्द्र सिंह

दोनों की बली संरक्षिक मंजू सिंह सभी निवासीगण बरा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

22. महेन्द्र सिंह पिता सवाईलाल सिंह

23. (अ) बलिराज सिंह तनय रामनिरंज सिंह

(ब) इन्द्राबहादुर सिंह तनय रामनिरंजन सिंह

दोनों निवासी ग्राम बरा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

24. रामनिरंजन सिंह पिता श्री अयोध्या सिंह

25. नीरज सिंह पिता स्व0 सरदार वल्लभ भाई सिंह

26. संतोष पिता रामविश्वास सिंह

27. कृष्णपाल सिंह पिता पन्नालाल

28. वीरेन्द्र सिंह पिता पन्नालाल

29. पुष्पेन्द्र सिंह पिता राम सिंह

30. कपिल सिंह पिता राम सिंह

31. सुनील सिंह पिताप राम सिंह

32. (अ) बेवा कौशिल्या पत्नी रामाश्रय सिंह

(ब) शिवशंकर सिंह तनय स्व0 रामाश्रय सिंह

(स) इन्द्रमणि सिंह तनय स्व0 रामाश्रय सिंह

(द) विद्यावती सिंह पत्नी स्व0 रामाश्रय सिंह

सभी निवासी ग्राम बरा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

(ई) श्रीमती कलावती सिंह पुत्री स्व0 रामाश्रय सिंह पत्नी इन्द्रभान सिंह निवासी ग्राम बरती तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0

33. शोभनाथ सिंह पिता तीरथ सिंह निवासी ग्राम बरा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0।

34. बलदेव तिवारी तनय स्व0 श्री सुमेश्वरदीन तिवारी निवासी ग्राम बराह तहसील त्योंथर जिला रीवा म0प्र0।

35. शासन म0प्र0।

---------अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण क्रमांक 52/अ-6-अ/अपील/2011-12 आदेश दिनांक 10.11.2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.08.2011 प्रकरण क्रमांक 5/अ-6-अ/2010-11 में पारित।

माान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

1. अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 10.11.2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.08.2011 सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2. अधीनस्थ न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर के आदेश दिनांक 30.08.2011 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी, अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 30.08.2011 के आधार पर जो धारा 113 म0प्र0 भू राजस्व संहिता के परिपेक्ष्य में जो त्रुटि सुधार किया वहां गलत है, क्योंकि अपीलाधीन भूमि पुराना नम्बर खसरा क्रमांक 149, 195/149 से मिलकर बनी है,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी ...–तीन/2017 जिला रीवा

	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–2–2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण क्रमांक 52/अ–6–अ/10–11 में पारित आदेश दिनांक 10–11–16 एवं अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 5/अ–6–अ/10–11 में पारित आदेश दिनांक 30–8–11 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 3/ निगरानी आवेदन के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अन्तरिम आदेश दिनांक 10–11–2016 की प्रति के साथ प्रकरण की सम्पूर्ण आदेश पत्रिका एवं अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के प्रकरण क्रमांक 52/अ–6–अ/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 30–8–11 के आदेश के साथ सम्पूर्ण आदेश पत्रिका, प्रकरण में संलग्न बल्देव तिवारी को भेजे गये सम्मन, बावदीन पिता सुखाली अहीर ग्राम अजगरहा के वंशवृद्ध की फोटोयुक्त प्रति, न्यायालय तहसीलदार परगना हुजरू के मिसिल नम्बरी 147/44–45 आदेश दिनांक 6–5–1945 की प्रति, खेवट मौजा सम्वत 1982 लगायत 2001 खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 1982 लगायत 2001 खसरा वर्ष 1950–51 से 1954–55, 1960–61 से 1962–63, 1969–70 से 1973–74, खतौनी वर्ष 1958–59 अधिकार अभिलेख तैयारी दौरान तैयार कर पत्रक 1969 की प्रतियों के साथ नक्शा मौजा बन्दोबस्ती 1924–25 की प्रति न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 47/अ–6–अ/1987–88 में पारित आदेश दिनांक 7–11–1988 पटवारी द्वारा दी गई	

नकल खसरा वर्ष 2009—10 ऋण पुस्तिका 82909 जारी दिनांक 16—11—2009 एवं कम्प्यूटरीकृत खसरा नकल वर्ष 2009—10 से 2011—12 बल्देव तिवारी द्वारा कराया गया रजिस्टर्ड विकय विलेख दिनांक 7—5—2010 के प्रतियों के साथ, अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के न्यायालय में अनावेदंकगण द्वारा जो प्रकरण कमांक 5/अ—6—अ/2010—11 में शामिल आवेदन पत्र, सजरा खानदान, वकालतनामा, खतौनी बन्दोबस्त 1924—25 के प्रथम प्रति की नकल, खतौनी वर्ष 1958—59 अधिकार अभिलेख वर्ष 1973 की प्रति शामिल की गई थी उसकी प्रति, प्रस्तुत की गई।

4/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त लेखीय साक्ष्य एवं प्रस्तुत सविवरणिक तर्कों से यह प्रथम दृष्टया ही प्रमाणित है कि विवादित भूमि बल्देव तिवारी की है जिनसे आवेदकगण ने भूमि कय की है। विकेला बल्देव तिवारी द्वारा विवादित भूमि को मौजा खेवट, सीताराम पिता भागीरथी से सन् 1945 में विकय में ली गई थी जिसका विधिवत नामांतरण प्रमाणित होकर बन्दोबस्त खतौनी 1924—25 एवं खेवट मौज में इत्तलयावी दर्ज अभिलेख है, तब से लगातार खसरा वर्ष 1974 तक तथ्झा अधिकार अभिलेख की तैयारी में तैयार क पत्रक 1969 में स्वत्व अधिपत्यधारी के रूप में नाम दज होता आया, पर अधिकार अभिलेख की तैयार की गई स्वच्छ प्रति 1973 में अनावेदक द्वारा साजिशन कालम नम्बर 10 में कतिपय नाम लखवा दिये गये। जिनको अनावेदकगण ने सजरा से जोड़ते हैं जिनका ही उनके ही द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान से मिलान नहीं होता है। उक्त अवैध प्रविष्टियां दर्ज हो जाने की

जानकारी होने पर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 115–116 सहपठित धारा 32 के अधीन खसरा सुधार का आवेदन दिया गया। जिसमें उन्हें ही पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया , जिनके नाम जैसे राजस्व अभिलेख में दर्ज थे। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर समस्त परिसीलन उपरान्त भूमि विक्रेता बल्देव तिवारी पिता सुमेश्वरदीन के नाम स्वत्व अधिपत्यधारी बावत आदेश दिनांक 7–11–1988 को पारित किया गया जिसकी इत्तलायाबी कतिपय कारणों से समयानुसार न होकर 16–11–2009 को की गई। जिसकी बजह से ध्यान्तर खसरे खतौनी में अनावश्यक अवैध प्रविष्टियॉं दर्ज होती आई। खसरा सुधार की इत्तलयावी दर्ज हो जाने के उपरांत निजी आवश्यकता पूर्ति हेतु बल्देव तिवारी द्वारा आवेदकगण के नाम दिनांक 7–5–2010 को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से समस्त मालिकाना हक आवेदकगण को सौंप दिया। इसके पश्चात अनावेदकगण चौरी छिपे आवेदकगण एवं विक्रेता को बिना पक्षकार संयोजत किये अधिकार अभिलेख वर्ष 1973 में दर्ज उपरोक्त अवैध प्रविष्टियों को सहारा लेकर न्यायालय तहसीलदार को छोडकर सीधे अनुविभागीय अधिकारी में ण्ररीर 113 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि आवेदन पत्र प्रस्तुत कराया गया। वकालतनामा तथा समस्त संधारित आदेश पत्रिकाओं में से किसी में समस्त आवेदकगण के यानी जो आज अनावेदकगण के रूप शामिल हैं, उनकी उपस्थिति या सहमति बावत हस्ताक्षर नहीं बने हैं जिनके हस्ताक्षर बने हैं, उनमें से कुछ ऐसे आवेदक हस्ताक्षर किये है जिनके नाम बन्दोबस्त खतौनी 1924–25 में दर्ज मुर्तहिनों के

वंशज में सजरा खानदान के मुताबिक शामिल नहीं है। फिर भी धारा 113 के अन्तर्गत त्रुटि सुधार में आवेदक बन गये हैं। इस प्रकरण में आवेदन के साथ नकल खतौनी बन्दोबस्त 1924–25 की प्रथम प्रति की नकल वर्ष 1958–59 की खतौनी तथा अधिकार अभिलेख वर्ष 1973 के नकल एवं खजरा खानदान की प्रति प्रस्तुत कर अधिकार अभिलेख वर्ष 1973 में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार आगे के राजस्व अभिलेखों का अद्यतन चाहा गया था, अनावेदकगण द्वारा ही जो राजस्व अभिलेखों की प्रतियां प्रस्तुत की गई है वह कमश मिलान नहीं होती है। इनका प्रथमदृष्टया ही विधिक स्तर पर अस्तित्व साबित नहीं होता है क्योंकि वर्तमान विवादित भूमि खसरा नम्बर 146 जिसका पुराना खसरा नम्बर जो बन्दोबस्ती खतौनी में दर्ज है। वह 149 एवं 195/149 जबकि इनके द्वारा जो वर्ष 1958–59 की खतौनी नकल प्रस्तुत की गई है उसमें खसरा नम्बर 149/195 लिखा है तथा मूर्तहितों का जो नाम लिखा गया है वे बिना बल्दीयत के है तथा पता भी सही नहीं है। इसी तरह अधिकारी अभिलेख की प्रस्तुत प्रति में वर्तमान खसरा नम्बर 146 जिन दो पुराने नम्बर 149, 194 195 से मिलकर बना बताया जा रहा है। उसके सम्बन्ध में बन्दोबस्त खतौनी की नकल एवं बन्दोबस्ती नक्शे की प्रति से पूर्णतया स्पष्ट है कि मौजे में 194/195 का कोई नम्बर मौजूद ही नहीं है तो इसका सृजन किस आधार पर कर लिया गया है। साथ ही अधिकार अभिलेख के कालम नम्बर 10 में जो नाम लिखे भी हैं उनका मिलान प्रस्तुत सजरा खानदन से नहीं होता है। इसी तरह प्रकरण में मृतकों को आहुत कर लिया गया जैसे अनावेदकों द्वारा विचारण न्यायालय में अपने आवेदन में अनावेदक बल्देव, भगवान

	अजगरहा निवासी को पता छिपाते हुये निवासी बरा बताया गया है वहीं जिस अधिकार अभिलेख के आधार पर सुधार चाहा गया था उसके कालम नं0 10 में दर्ज मुर्तहित के रूप में महेश, गया पिता भगवतदीन दर्ज है पर इसे भी छिपाते हुये कूटरचित ढंग से कपट पूर्वक उनके पूर्वज बावदीन पिता सुखाली अहीर वर्षों पूर्व मृतक को जीवित अनावेदक के रूप में संयोजित कर आहुत किया गया है। खसरे में दर्ज भूमिस्वामी बल्देव तिवारी पिता सुमेश्वरदीन ग्राम बराह तहसील त्योंथर जिला रीवा के निवास का सही पता लौखिक रूप से ज्ञात होने के बावजूद भी सही पते पर उन्हें सम्मन नहीं भेजा गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेदकगण एवं विक्रेता भूमिस्वामी को पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया गया । अनावेदकगण का आवेदन अधूरा था जो हस्ताक्षरित आवेदन, आदेश पत्रिका में बने हस्ताक्षर शामिल वकालतनामे में बने हस्ताक्षर से पूर्णतया प्रकट है। साथ ही बन्दोबस्त खतौनी 1924–25 में दर्ज मुर्तहिनी के वंशज बनकर जो अनावेदकगण द्वारा आवेदन दिया गया था वह बीते अन्तराल के बाद ग्राह्य योगय नहीं था क्योंकि निहित नियम रीवा राज्य कानून मालगुजारी एवं कास्तकारी अधिनियम 1935 की धारा 51(2) क के अनुसार इनके पूर्वजों का न इनका कोई हक शेष नही रहा जाता है। ऐसी सभी विद्यमान गम्भीर अनियमितताओं को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी को विधिक स्तर पर गौर करना चाहिए था जो न कर भूल की गइ है, फिर अधिकारिता रहित हो क्षेत्राधिकार के बारह जाकर प्रकरण में दिनांक 30–8–2011 को अन्तिम आदेश पारित कर दिया जो विधि विपरीत होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।	

5/ अधीनस्थ न्यायालयों के सम्पूर्ण आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण वंशपती वगैरह सभी एक ही परिवार से सम्बन्धित एवं स्थानीय हैं जो सहखातेदार भी बताये गये हैं, पर एक लम्बे समय तक प्रकरण में जानकारी उपरान्त भी हाजिर न होना हाजिर होकर प्रकरण निराकरण में सदभावी न होना आलोच्य आदेशके पूर्व से ही प्रकट है। ऐसी परिस्थिति में उपरोक्तानुसार जो लैखिक साक्ष्य या राजस्व अभिलेख उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत कर दिये गये थे, तो उनका प्रथमदृष्टया परस्पर कमानुसार विधिक स्तर पर मिलान करने के बाद तथा अन्तिम तर्क प्रकरण में हो जाने के बाद पुनः राजस्व अभिलेख मंगवाने का आदेश जिसमें स्पष्टता भी न हो, न्यायसंगत नहीं है। दर्शित परिस्थितियों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–11–2016 भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 10–11–2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी हुजरू जिला रीवा का आदेश दिनांक 30–8–2011 निरस्त किये जाते हैं तथा खसरे के कालम नम्बर 3 में बल्देव पिता सुमेश्वरदीन तिवारी के नाम की प्रविष्टि को पूर्ववत यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जाये। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य